

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2024—भाद्र 8, शक 1946

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2024

क्र. 411-P-2130414-2024-लो.से.-इकसठ-1.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सेवाएं—

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय- सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45.10	आधार सत्यापन द्वारा समग्र परिवार पंजीयन	जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी/CMO नगर पालिका/नगरीय निकाय/जोन प्रभारी.	15 कार्य दिवस	जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ DUDA (PO)	15 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45.11	आधार सत्यापन द्वारा समग्र सदस्य पंजीयन.	जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी/CMO नगर पालिका/नगरीय निकाय/जोन प्रभारी.	15 कार्य दिवस	जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ DUDA (PO)	15 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर.
45.12	समग्र आईडी का आधार ई-केवाईसी सत्यापन.	ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक/वार्ड प्रभारी.	15 कार्य दिवस	जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ DUDA (PO)	15 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर.
45.13	समग्र परिवार विभाजन का आवेदन.	जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी/CMO नगर पालिका/नगरीय निकाय/जोन प्रभारी.	15 कार्य दिवस	जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ DUDA (PO)	15 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर.
45.14	समग्र परिवार विलय का आवेदन.	जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी/CMO नगर पालिका/नगरीय निकाय/जोन प्रभारी.	15 कार्य दिवस	जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ DUDA (PO)	15 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गिरीश शर्मा, अपर सचिव.